



कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P) 2020 के अन्तर्गत आयोजित सेमेस्टर प्रणाली में प्रायोगिक परीक्षाओं की अधिकता के दृष्टिगत सुगम सम्पादनार्थ नीति-निर्धारण हेतु परीक्षा समिति की बैठक दिनांक: 03 सितम्बर, 2022 के बिन्दु संख्या-02 के निर्णयानुक्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 2177 / 2022, दिनांक: 04 सितम्बर, 2022 के माध्यम से गठित समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुतियाँ (मा0 कुलपति जी द्वारा अनुमोदित) की गयी हैं:-

01. प्रायोगिक विषयों में विषम सेमेस्टरों- प्रथम, तृतीय एवं पंचम की प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा, पूर्व निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत, आन्तरिक परीक्षकों के द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।
02. प्रायोगिक विषयों के सम सेमेस्टर- द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ में प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नामित किये जायेंगे।
03. जिन विषयों में वर्ष में केवल एक बार(सम अथवा विषम सेमेस्टर में) प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न होनी है, वहाँ परीक्षा हेतु परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नामित किये जायेंगे।
04. आन्तरिक परीक्षा हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुमोदित सम्बन्धित विषय के शिक्षक ही प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु अर्ह होंगे।
05. प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा की निगरानी में सम्पन्न करायी जायेगी। अगर किसी कारणवश कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर परीक्षा सम्पन्न नहीं करा पाता है, तो उसके लिये अनिवार्य होगा कि वह आन्तरिक परीक्षा तिथि की लिखित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करे। परीक्षा अवधि में परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता एवं पवित्रता सुनिश्चित करने के लिये विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकता है। पर्यवेक्षक की आख्या अन्तिम मानी जायेगी।
06. प्रायोगिक परीक्षा के पश्चात महाविद्यालय प्रायोगिक उत्तरपुस्तिका सुरक्षित रखेगा। आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय की माँग पर महाविद्यालय द्वारा उत्तरपुस्तिका यथाशीघ्र/ तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
07. प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद महाविद्यालय द्वारा अंक अपलोड करना अनिवार्य होगा। अंक सी0सी0टी0वी0 कैमरा के समक्ष अपलोड किया जायेगा। आवश्यकतानुसार सी0सी0टी0वी0 कैमरा की फुटेज विश्वविद्यालय की माँग पर उपलब्ध कराना होगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात महाविद्यालय तीन कार्य दिवस के अन्दर अंक पत्र की हार्ड कापी विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।




जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia



08. किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय की प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा निरस्त की जा सकती है। ऐसे महाविद्यालयों की पुनः प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त किया जायेगा।

तत्क्रम में सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या को निर्देशित किया जाता है कि तदनुक्रम में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. डॉ0 पुष्पा मिश्रा, निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर।
4. प्रभारी वेबसाईट को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
6. सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव